<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>06.04.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यूसुफ मोहम्मद लकड़ावाला और अन्य के मामले में मावल, लोनावाला में अचल संपत्तियों के रूप में 1.81 करोड़ (लगभग) रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने जाली दस्तावेज जमा करके और उप रजिस्ट्रार, मावल का थंब रजिस्टर एवं इंडेक्स-II रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठों को नष्ट करके अवैध रूप से जमीन हासिल करने की आपराधिक साजिश के संबंध में यूसुफ मोहम्मद लकड़ावाला, मोहन आर नायर, दीपक गुप्ता और अन्य के विरुद्ध ईओडब्ल्यू, मुंबई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। ईओडब्ल्यू, मुंबई ने आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध मामले में आरोप पत्र दायर किया था।

ईडी की जाँच से पता चला कि यूसुफ एम लकड़ावाला (मृतक के बाद से) ने बेईमानी के इरादे से जमीन के पार्सल से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों में जालसाजी की और जमीन को हड़पने के लिए उक्त संपत्ति के रिकॉर्ड में बदलाव करने के लिए राजस्व विभाग को जाली दस्तावेज सौंपे। हालाँकि, वह असफल रहा क्योंकि जालसाजी पकड़ी गई और भूमि का फर्जी हस्तांतरण नहीं हो पाया। यूसुफ एम लकड़ावाला ने पावर ऑफ अटॉर्नी सरेंडर करने की आड़ में मोहन नायर को अनुसूचित अपराध से संबंधित उक्त आपराधिक गतिविधि के लिए कमीशन के रूप में 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

इस मामले में ईडी ने भी छापेमारी की थी और यूसुफ एम लकड़ावाला को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दिनांकः 23.07.2021 को माननीय विशेष न्यायालय, मुंबई के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की गई। अभियोजन शिकायत का संज्ञान माननीय विशेष न्यायालय द्वारा पहले ही लिया जा चुका है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।